



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-16755 वर्ष 2024

आकाश उर्फ आकाश शाक्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अरविंद कुमार, दुर्गेश दुबे, सर्वेश कुमार दुबे, सुशील कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, जितेंद्र कुमार मिश्रा

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर चौथा पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार, श्री जय शुभम, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने अपराध संख्या-693 वर्ष 2023 में धारा 147, 148, 149, 452, 302, 307, 504 भ०द०वि० और 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना-भोगांव, ज़िला: मैनपुरी के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों से पूछताछ की है। अ०सा०-1 ने मुख्य परीक्षा के दौरान आवेदक के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में उसकी जिरह के दौरान अपने पहले के बयानों से अलग हो गया और पूरी तरह से अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। इसके बाद, पांच और गवाहों से अ०सा०-2, अ०सा०-3, अ०सा०-4, अ०सा०-5

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अ०सा०-6 के रूप में पूछताछ की गई है, जो अपने पहले के बयानों से पूरी तरह से पीछे हट गए हैं और लोक अभियोजक द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित करने के बाद जिरह की गई है।

5. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 27.10.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्सम विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गवाह पक्षद्रोही गए हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथ्य के गवाह मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही गए हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक- आकाश उर्फ आकाश शाक्य, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.